भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 275

06 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी का कार्यान्वयन

***275. श्री जुगल किशोरः**

श्री राजकुमार चाहरः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) के कार्यान्वयन की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और मुख्य निष्कर्ष क्या हैं और जम्मू सहित देशभर में अब तक किए गए कार्य का शहरी स्थानीय निकायवार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) शहरी ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रसंस्करण, स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण, पुराने पाटन स्थलों के शोधन और पुनरूद्धार के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है और इसके लिए देशभर में स्वीकृत और जारी की गई तथा उपयोग में लाई गई धनराशि का शहरी स्थानीय निकाय-वार और जम्मू सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देशभर में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2026 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए कोई विशिष्ट उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत प्रदान की गई वित्तीय और तकनीकी सहायता का स्थानीय निकाय-वार और जम्मू सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) देशभर में कचरा-मुक्त शहरों का लक्ष्य प्राप्त करने के संबंध में इन पहलों का क्या प्रभाव दृष्टिगत हुआ है;

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान सृजित अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता का शहर-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) देशभर में अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार लाने और लैंडफिल पर निर्भरता को कम करने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य मंत्री

(श्री मनोहर लाल)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"**स्वच्छ भारत मिशन-शहरी का कार्यान्वयन**" के विषय में दिनांक 06.08.2026 को लोकसभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 275 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): स्वच्छता राज्य का विषय है। देश के शहरी क्षेत्रों में शहरी अपशिष्ट प्रबंधन (यूडब्ल्यूएम) और सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) सुविधाओं सहित स्वच्छता परियोजनाओं की योजना, डिजाइन, निष्पादन, संचालन और समीक्षा के लिए राज्य/शहरी स्थानीय निकाय उत्तरदायी हैं।

भारत सरकार ने 2 अक्टूबर, 2014 को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) स्थिति, वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा सतत व्यवहार परिवर्तन प्राप्त करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) प्रारंभ किया, जिसके उपरांत 1 अक्टूबर, 2021 को एसबीएम-यू 2.0 प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य एक लाख से कम जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों में वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रसंस्करण, पुरानी डम्पसाइटों का उपचार तथा प्रयुक्त जल प्रबंधन (यूडब्ल्यूएम) के माध्यम से सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाना है।

डीएमईओ, नीति आयोग की मूल्यांकन रिपोर्ट (सितम्बर, 2025) के अनुसार, एसबीएम-यू तथा एसबीएम-यू 2.0 ने स्वच्छता, गरिमा तथा सुरक्षा में, विशेषकर महिलाओं तथा असुरक्षित समुदायों के लिए, उल्लेखनीय सुधार किया है, जिसमें सर्वेक्षण किए गए 94% परिवारों ने खुले में शौच की प्रथा समाप्त होने की जानकारी दी है। इस रिपोर्ट में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में भी प्रमुख प्रगति का प्रमुख रूप से उल्लेख किया गया है, जिसमें 90% से अधिक घर-घर अपशिष्ट संग्रहण कवरेज, 91% स्रोत पर पृथक्करण तथा 2014 में अपशिष्ट प्रसंस्करण 18% से बढ़कर 2025 में 80% से अधिक हो गया है।

इसके अतिरिक्त, कार्यान्वयन प्रगति की समीक्षा के लिए सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के साथ 19-20 मई, 2026 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 की दो दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उन्नत परियोजना कार्यान्वयन के लिए संस्थागत सुदृढ़ीकरण, दृश्यमान स्वच्छता, पृथक्करण, संग्रहण एवं परिवहन, जैविक अपशिष्ट प्रबंधन, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन, एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं वित्तीय मॉडलिंग,पुराने अपशिष्ट का निस्तारण, स्वच्छता की स्थिति, स्वच्छ सर्वेक्षण तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 पर व्यापक कार्यान्वयन समीक्षा की गई।

तत्पश्चात समग्र रूप से निगरानी, केंद्र-राज्य का समन्वय सुनिश्चित करने और कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों के समय पर समाधान की सुविधा के लिए 27 मई, 2026 को प्रगति समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

मंत्रालय स्तर पर राष्ट्रीय सलाहकार और समीक्षा समिति (एनएआरसी) भी एसबीएम-यू 2.0 की प्रगति की समीक्षा करती है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कार्य योजनाओं को अनुमोदन देती है।

एसबीएम-यू 2.0 के तहत किया गया कार्य अनुलग्नक I में दिया गया है।

(ख): स्वच्छत्तम पोर्टल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार,घर-घर अपशिष्ट संग्रहण, स्रोत पर पृथक्करण तथा अपशिष्ट प्रसंस्करण क्रमशः 97%, 89% तथा 81% है। देश के शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन कुल 1,62,372 टन (टीपीडी) नगरपालिका ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। इसमें से 1,31,530 टीपीडी का प्रसंस्करण किया जाता है। अर्थात्, 2014 में 16% अपशिष्ट प्रसंस्करण की तुलना में वर्तमान प्रसंस्करण क्षमता बढ़कर 81% हो गई है।

स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत सभी शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) विभिन्न स्वच्छता मानकों पर प्रतिवर्ष स्वच्छता आकलन करती है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, घर-घर अपशिष्ट संग्रहण, स्रोत पर पृथक्करण तथा अपशिष्ट प्रसंस्करण क्रमशः 63%, 27% तथा 67% है।

कचरा मुक्त शहरों की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने 13 हिमालयी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा पश्चिम बंगाल के प्रमुख पर्वतीय शहरों में अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्वच्छता समाधानों को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ हिमालयी एवं पर्वतीय शहर पहल प्रारंभ की, जिसमें तीर्थ मार्गों तथा पर्यटन स्थलों जैसे अधिक आवागमन वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

एसबीएम-यू 2.0 के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की जनसंख्या श्रेणी के आधार पर पुराने अपशिष्ट के उपचार हेतु ₹550 प्रति टन की दर से अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए) प्रदान की जाती है।

कुल 1,297 डम्पसाइटों का उपचार किया जा चुका है, जिनमें संचयी रूप से 18.52 करोड़ मीट्रिक टन पुराना अपशिष्ट था, तथा 10,434.90 एकड़ भूमि को पुनः प्राप्त किया गया है।

जम्मू सहित एसबीएम-यू 2.0 के तहत आवंटन, अनुमोदन और दावा की गई केंद्रीय अंश निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण अनुलग्नक II में है।

(ग): 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के अंतर्गत स्रोत पर अपशिष्ट का चार-स्ट्रीम में पृथक्करण अनिवार्य किया गया है तथा केवल गैर-पुनर्चक्रणीय, गैर-ऊर्जा पुनर्प्राप्ति योग्य अपशिष्ट तथा निष्क्रिय सामग्री के ही लैंडफिल में निपटान की अनुमति दी गई है। बड़ी मात्रा में अपशिष्ट उत्पादकों (बीडब्ल्यूजी) को अपने परिसरों के

भीतर पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त तरीके से अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन तथा प्रसंस्करण की विशिष्ट जिम्मेदारी सौंपी गई है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकल्पों के लिए नीति निर्देशन, वित्तीय और तकनीकी सहायता, मैनुअल/मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को साझा करके और उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकल्पों के लिए समय-समय पर परामर्शिकाएं/दिशानिर्देश जारी करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है।

(घ): स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के अंतर्गत, देश के शहरी क्षेत्रों में शहरी स्वच्छता तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों में निरंतर सुधार देखा जा सकता है। वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण आकलन तथा कचरा मुक्त शहर (जीएफसी) स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल ने शहरी स्थानीय निकायों को स्रोत पर पृथक्करण, घर-घर संग्रहण, नगर ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रसंस्करण तथा पुराने अपशिष्ट डम्पसाइटों के उपचार के लिए प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। अब तक, 883 शहरों को 1-स्टार कचरा मुक्त शहर, 275 शहरों को 3-स्टार कचरा मुक्त शहर, 23 शहरों को 5-स्टार कचरा मुक्त शहर तथा 12 शहरों को 7-स्टार कचरा मुक्त शहर के रूप में प्रमाणित किया गया है।

(ङ): ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) घटक के अंतर्गत अब तक अनुमोदित कार्य योजनाएं नीचे दी गई हैं -

- पुराने कचरे का उपचार: 22.26 करोड़ मीट्रिक टन (एमटी)
- 48,792.30 टन प्रति दिन (टीपीडी) के गीले अपशिष्ट/खाद संयंत्र
- 9,173.72 टीपीडी के बायो-मिथेनेशन संयंत्र
- 44,713.77 टीपीडी की सामग्री पुन:प्राप्ति सुविधाएं (एमआरएफ)
- 5,129 टीपीडी के अपशिष्ट-से-बिजली संयंत्र
- 25,810.67 टीपीडी के सैनिटरी लैंडफिल (एसएलएफ)
- 23,996.92 टीपीडी के स्थानांतरण स्टेशन
- 8,514.73 टीपीडी के निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र

जम्मू सहित एसबीएम-यू 2.0 के तहत अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता और अनुमोदित अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक III में दिया गया है।

(च) स्वच्छतम पोर्टल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उपचार के लिए कुल 2,518 डम्पसाइटों (जिनमें 1,000 टन से अधिक अपशिष्ट है) की पहचान की गई है, जिनमें 27.75 करोड़ मीट्रिक टन (एमटी) अपशिष्ट है। अब तक, 1,297 डम्पसाइटों का पूर्ण रूप से उपचार किया जा चुका है। संचयी रूप से 18.52 करोड़ एमटी (67%)अपशिष्ट का उपचार किया जा चुका है तथा 10,434.90 एकड़ (68%) भूमि को पुनः प्राप्त किया जा चुका है। राज्य-वार अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएँ तथा पुराने अपशिष्ट

उपचार की स्थिति वेबसाइट https://sbmurban.org/swachh-bharat-mission-progess पर उपलब्ध है।

मंत्रालय ने 211 पुराने अपशिष्ट डम्पसाइटों के उपचार में तेजी लाने के लिए डंपसाइट रेमेडिएशन एक्सेलेरेशन प्रोग्राम (डीआरएपी) पहल भी शुरू की है, जिसमें 1,262.43 लाख मीट्रिक टन अपशिष्ट के कार्य, भूमि को उत्पादक शहरी उपयोग के लिए पुनः प्राप्त करने तथा नए डम्पसाइटों के निर्माण को रोकना भी शामिल है।

अनुलग्नक - I

"स्वच्छ भारत मिशन-शहरी का कार्यान्वयन" के विषय में दिनांक 06.08.2026 को लोकसभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 275 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

एसबीएम-यू 2.0 के तहत किए गए कार्यों का विवरण:-

क्रम संख्या	घटक	प्रगति
1.	वित्तीय प्रगति	अनुमोदित केंद्रीय अंश: ₹31,948.05 करोड़; जारी केंद्रीय हिस्सा अंश : ₹9,212.69 करोड़
2.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM)	आवंटन: ₹10,930.12 करोड़; अनुमोदित: ₹10,566.42 करोड़ (96.67%), DRAP सहित
		डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण: 96.69% वार्ड (95,167 वार्ड)
		स्रोत पृथक्करण: 89.38% वार्ड (87,965 वार्ड)
		अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता: 1,31,530 टीपीडी (उत्पन्न अपशिष्ट का 81.01%)
	शुष्क अपशिष्ट प्रबंधन अनुमोदन	सामग्री पुन:प्राप्ति सुविधाएं (एमआरएफ): 44,713.77 टीपीडी
		अपशिष्ट-से-ऊर्जा (WtE) संयंत्र: 5,129 TPD
		सेनेटरी लैंडफिल (एसएलएफ): 25,810.67 टीपीडी
		स्थानांतरण स्टेशन: 23,996.92 टीपीडी
		निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) अपशिष्ट संयंत्र: 8,514.73 टीपीडी
		मैकेनिकल रोड स्वीपर: 584 मशीनें
	गीला अपशिष्ट प्रबंधन अनुमोदन	अपशिष्ट-से-खाद संयंत्र: 48,792.30 टीपीडी
		कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र: एसबीएम-यू, राज्यों और तेल और गैस विनिर्माण कंपनियों (ओजीएमसी) के माध्यम से 21,760 टीपीडी की संचयी क्षमता वाले 143 संयंत्र कार्यान्वयन के चरण में हैं
3	स्वच्छता	निर्मित: 63.85 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) और 6.36 लाख सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय (सीटी/पीटी) सीटें
		अनुमोदित: 8.22 लाख टॉयलेट सीटें (आईएचएचएल, सीटी/पीटी,

		आकांक्षी शौचालय और मूत्रालय)
		सार्वजनिक शौचालय सीटों का अनुमोदन: 56,874 सीटें
		सामुदायिक शौचालय सीटों का अनुमोदन: 49,805 सीटें
		आकांक्षी शौचालय सीटों की मंजूरी: 38,981 सीटें
4	प्रयुक्त जल प्रबंधन (UWM)	मिशन लक्ष्य: 13,000 एमएलडी (1 लाख से कम आबादी वाले शहर)
		सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट/एफएसटीपी को अनुमोदन: 10,782.31 एमएलडी
		इंटरसेप्शन एंड डायवर्जन (आई एंड डी) नेटवर्क: 27,948 किमी
		डीस्लजिंग वाहन और अन्य सफाई वाहन: 3,478
		अनुमोदित केंद्रीय अंश: ₹15,421.72 करोड़
5.	पुराने अपशिष्ट उपचार	कुल डंपसाइट्स: 2,518
		कुल पुराना अपशिष्ट: 27.75 करोड़ मीट्रिक टन
		अपशिष्ट उपचार: 18.52 करोड़ मीट्रिक टन (67%)
		पुनः प्राप्त भूमि: 10,434.90 एकड़ (68%)
		डंपसाइट पूर्णत उपचारित: 1,297
		उपचार परियोजनाओं को अनुमोदन: 2,979 यूएलबी में 22.26 करोड़ मीट्रिक टन पुराना अपशिष्ट

अनुलग्नक - II

"स्वच्छ भारत मिशन-शहरी का कार्यान्वयन" के विषय में दिनांक 06.08.2026 को लोकसभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 275 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मिशन आवंटन	अनुमोदन	दावा की गई केन्द्रीय अंश निधि
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8.60	13.55	3.53
2	आंध्र प्रदेश	1413.30	1645.36	489.99
3	अरुणाचल प्रदेश	129.00	180.51	42.92
4	असम	503.50	506.69	155.41
5	बिहार	1204.80	1227.65	298.92
6	चंडीगढ़	45.20	58.88	29.76
7	छत्तीसगढ़	727.30	686.45	232.76
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव और दमन और दीव	31.20	31.37	7.80
9	दिल्ली	1192.60	1228.57	916.46
10	गोवा	77.80	71.27	12.17
11	गुजरात	1918.90	1799.48	528.58
12	हरियाणा	645.70	694.05	27.51
13	हिमाचल प्रदेश	156.70	175.82	61.87
14	जम्मू और कश्मीर	429.90	692.12	132.64
15	झारखंड	519.00	406.24	82.14
16	कर्नाटक	2245.30	2199.33	613.86
17	केरल	875.10	270.76	68.33
18	लद्दाख	62.70	33.74	2.66
19	मध्य प्रदेश	2200.20	2036.91	584.05
20	महाराष्ट्र	3758.50	3731.09	1079.80
21	मणिपुर	96.20	136.53	32.64
22	मेघालय	67.30	82.67	23.06
23	मिजोरम	82.50	137.60	36.65
24	नागालैंड	158.88	184.29	44.81
25	ओडिशा	821.40	818.36	375.64
26	पुडुचेरी	83.21	75.53	36.58
27	पंजाब	1054.20	1058.29	343.95
28	राजस्थान	1765.80	1799.99	407.10
29	सिक्किम	19.40	47.97	8.77
30	तमिलनाडु	3296.70	3317.90	1228.85
31	तेलंगाना	1067.30	1014.68	444.80
32	त्रिपुरा	85.30	115.98	24.03
33	उत्तर प्रदेश	4073.80	3554.56	511.02
34	उत्तराखंड	343.40	362.83	48.01
35	पश्चिम बंगाल	1449.30	1551.03	275.64

अनुलग्नक - III

"स्वच्छ भारत मिशन-शहरी का कार्यान्वयन" के विषय में दिनांक 06.08.2026 को लोकसभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 275 के भाग (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल अपशिष्ट प्रसंस्करण (%)(एमआईएस)	एसबीएम-यू 2.0 (टीपीडी) के तहत अनुमोदित अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता
1	आंध्र प्रदेश	90.96%	8818.09
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	97.96%	56.58
3	अरुणाचल प्रदेश	20.33%	134.50
4	असम	62.74%	1259.10
5	बिहार	27.60%	8781.77
6	चंडीगढ़	100.00%	0.00
7	छत्तीसगढ़	100.00%	2606.72
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	99.46%	0.00
9	दिल्ली	80.33%	0.00
10	गोवा	97.96%	114.00
11	गुजरात	97.84%	20276.64
12	हरियाणा	74.65%	3152.29
13	हिमाचल प्रदेश	81.84%	174.29
14	जम्मू और कश्मीर	86.66%	2848.71
15	झारखंड	49.45%	522.34
16	कर्नाटक	85.48%	15235.42
17	केरल	97.69%	1613.91
18	लद्दाख	0.00%	41.12
19	मध्य प्रदेश	99.72%	7857.36
20	महाराष्ट्र	93.69%	20645.27

21	मणिपुर	53.63%	273.63
22	मेघालय	34.49%	121.50
23	मिजोरम	0.00%	324.55
24	नागालैंड	2.17%	365.82
25	ओडिशा	95.95%	1916.12
26	पुडुचेरी	94.86%	399.08
27	पंजाब	95.00%	4627.02
28	राजस्थान	58.87%	8191.74
29	सिक्किम	76.19%	37.24
30	तमिलनाडु	60.56%	14658.16
31	तेलंगाना	97.06%	10337.35
32	त्रिपुरा	96.45%	0.00
33	उत्तर प्रदेश	97.66%	18566.18
34	उत्तराखंड	96.59%	0.00
35	पश्चिम बंगाल	10.57%	12174.35
